

शहरी नवीकरण प्राधिकरण गैर-घरेलू सम्पत्ति के मालिक

किराये पर (TT)

अधिग्रहण
प्रक्रियाएं

अधिग्रहण क्षतिपूर्ति **स्मार्ट टिप्स**

अधिग्रहण
प्रस्ताव



10% MV अथवा उसका
अनुमानित वार्षिक किराया*

5% MV

* जो भी अधिकतम हो



क्या URA के अधिग्रहण के दौरान
मकान मालिकों को किराये की
संपत्तियों को खाली करवाना होगा?

URA के अधिग्रहण के दौरान मकान
मालिकों को संपत्ति खाली नहीं करनी है
URA किराएदार को हटाने का प्रबन्ध खुद
करेगा



यदि मकान मालिकों ने किरायेदारों को स्वयं बेदखल
किया तो भी कोई उच्च प्रस्ताव नहीं

किराए पर दी गई संपत्ति को स्थिर सर्वेक्षण (FS) के
दौरान मालिक की संपत्ति के रूप में नहीं माना
जाएगा भले ही FS के बाद मालिक अपनी संपत्ति का
स्वयं उपयोग करता है

स्थिर सर्वेक्षण की तिथि के बाद मालिक ने अपनी
संपत्ति खरीदी: URA नए मालिक को कोई भी भत्ता
नहीं देगा

यह पत्रक केवल सामान्य संदर्भ के उद्देश्य से जारी किया गया है। अधिग्रहण की शर्तें उस समय के शहरी नवीकरण प्राधिकरण के सिद्धांतों और कार्यप्रणाली के अनुसार होगी, जब अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया जाता है (अप्रैल 2022 संस्करण)

1



स्थिर सर्वेक्षण (FS)

2



सरकार की अनुमति

3



URA ने मालिकों को अधिग्रहण का प्रस्ताव
जारी किया
FS की तिथि पर संपत्ति के बिक्री योग्य क्षेत्र और अधिभोग की स्थिति के
आधार पर

4



मालिक ने अधिग्रहण प्रस्ताव स्वीकार कर
लिया

5



बिक्री और खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर
करना और प्रारंभिक भुगतान प्राप्त करना

6



विक्रय-पत्र का निष्पादन और शेष भुगतान
प्राप्त हुआ

पूछ-ताछ

Mong Kok Office

9/F, Tower I, Grand Century Place,
193 Prince Edward Road West,
Mong Kok, Kowloon
Telephone : 2588 2333
Website : www.ura.org.hk



संपत्ति अधिग्रहण में शहरी
नवीकरण प्राधिकरण द्वारा
अपनाए गए सिद्धांतों से
संदर्भित विवरण (औद्योगिक
संपत्तियों के अलावा)

